छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00239

श्री कुन्दन साहू विरूद्ध सतगुरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि., रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
27.12.2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक का कथन है कि उसके द्वारा स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "पिरदा प्रोजेक्ट" में फ्लैट हेतु दिनाँक 21.10.2014 को रूपये 1,02,000/– मात्र का भुगतान कर बुकिंग की गई थी। आवेदक के अनुसार उसके द्वारा आज दिनाँक तक फ्लैट का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इसके उपरांत उसके उक्त राशि लौटाने हेतु पिछले 1 साल से अनुरोध करने के बाद भी अनावेदक द्वारा राशि नहीं लौटाई जा रही है। अतः आवेदक ने उक्त राशि अनावेदक से वापस दिलाने का अनुरोध किया है। – प्रकरण में अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। अनावेदक द्वारा दिनाँक 27.12.2018 को इसकी लिखित प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा दिनाँक 21.10.2014 को प्रश्नाधीन फ्लैट की बुकिंग की गई थी और दिनाँक 02.08.2018 को उक्त फ्लैट की बुकिंग निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। आवेदक के इस अनुरोध पर डी.डी क्रमांक–0182222 दिनाँक 24.12.2018 द्वारा उक्त संपूर्ण राशि 1,71,500/– उसे वापस लौटाई जा चुकी है। – प्रकरण में आवेदक द्वारा दिनाँक 27.12.2018 को प्राधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि उसके द्वारा दिनाँक 09.07.2016 को बुकिंग हेतु प्रदत्त रूपये 1,02,000/– मात्र के एवज में रूपये 1,71,500/– का भुगतान उसे प्राप्त हो चुका है। साथ ही आवेदक ने अनावेदक से कोई विवाद शेष न रह जाने के कारण प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण समाप्त करने का भी अनुरोध किया है। – प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति व सुलह होने तथा आवेदक को बुकिंग हेतु प्रदत्त राशि वापस	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00239

श्री कुन्दन साहू विरूद्ध सतगुरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा.लि., रायपुर

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। – उभय पक्षों को आदेश की प्रति नियमानुसार उपलब्ध कराकर प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	